E-mail

बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या–FC-799

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
समस्तीपुर वन प्रमंडल, समस्तीपुर।

श्री ब्रजेन्द्र कुमार सिंह,
पिता–बैद्यनाथ प्रसाद सिंह,
ग्राम–मेरवारा, पो.+थाना–सिंधिया,
जिला–समस्तीपुर।

पटना 14, दिनांक– 12/11/2019

विषय– श्री ब्रजेन्द्र कुमार सिंह द्वारा समस्तीपुर जिलान्तर्गत SH-88 वरूणा ब्रिज–रसियारी पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.013875 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग– पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Others/29974/2017/2879, दिनांक 24.01.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि प्रसंगाधीन पत्र द्वारा कुल 14 (चौदह) अधिरोपित शर्तों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I Approval) प्रदान की गयी है। तदआलोक में इस कार्यालय के पत्रांक FC-99, दिनांक 28.01.2019 द्वारा NPV एवं क्षतिपूरक वनरोपण की राशि e-challan के माध्यम से जमा करने तथा सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया था।

2. प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 25.10.2019 द्वारा NPV एवं क्षतिपूरक वनरोपण मद में कुल रू. 5,25,798/– (पाँच लाख पचीस हजार सात सौ अनठान्वे रूपये) मात्र e-challan के माध्यम से जमा करते हुए कंडिकावार अनुपालन समर्पित की गयी है।

3. इस कार्यालय के पत्रांक FC-99, दिनांक 28.01.2019 द्वारा राशि का मांग रू. 257 प्रति मानव दिवस मजदूरी के आधार पर किया गया था। प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा लगभग 10 माह के उपरांत राशि जमा किया गया है। वर्तमान में श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा मजदूरी दर में वृद्धि करते हुए रू. 277 प्रति मानव दिवस निर्धारित की गयी है।

अतएव वर्तमान मजदूरी दर (रू. 277 प्रति मानव दिवस) के आधार पर हरितावरण को बनाये रखने के लिए क्षतिपूरक वनरोपण मद में 50 पौधों के रोपण की 10 वर्षीय योजनाओं की प्राक्कलित राशि रू. 5,43,719/– (पाँच लाख तैतालीस हजार सात सौ उनीस रूपये) मात्र होता है, जिसका प्राक्कलन वन प्रमंडल प्रमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

इस प्रकार वर्तमान मजदूरी दर (रू. 277 प्रति मानव दिवस) के आधार पर क्षतिपूरक वनरोपण मद की राशि रू. 5,43,719.00 (–) प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा जमा की गयी राशि रू. 5,17,112.00 अर्थात कुल रू. 26,607.00 (छब्बीस हजार छः सौ सात रूपये) मात्र को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा विभागीय वेवसाईट parivesh.nic.in से सर्वप्रथम e-challan Generate करने के उपरांत Download किया जायेगा तथा संबंधित बैंक खाता में राशि हस्तानांतरित किया जायेगा।

4. राशि हस्तान्तरित करने के उपरांत इसकी सूचना प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस कार्यालय को UTR No. एवं दिनांक के साथ मूलप्रति उपलब्ध करायी जायेगी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र में उल्लेखित कंडिका 01 से 14 तक अधिरोपित शर्त्तों का पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को समर्पित करेंगे, ताकि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय के रॉची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से विषयाधीन मामले पर अन्तिम स्वीकृति (Stage- II Clearance) प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन,

12.11.19

(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

Email-apccfcampa.bih@gmail.com

मोबाईल संख्या–8986153143